

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 687वीं बैठक दिनांक 11/10/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 9273/2022 M/s Adavita Developers and Promoters Pvt. Ltd, K-6, First Floor, Khandelwal Complex, Opp. UBI Near Guljar Hotel, Madan Mahal, Dist. Jabalpur, MP Prior Environment Clearance for Construction of Group Housing Project "Shree Ram Heights" at Khasra No. 150/2, 150/1, 151, 152/1, 154/2, 153, 152/2, Zone-1 (Garha), Colony - Sagda Tripuri, Dist. Jabalpur (MP) .)" (Total Project Area = 22271 sqm., Built-up Area = 66058.54 sqm) at Khasra no. - 150/2,150/1, 151,152/1, 154/2, 153, 152/2 Cat.- 8(a) Building and Construction Projects. EIA-Presentation.**

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Residential Project "Shree Ram Height " (Total Project Area = 22271 sqm., Built-up Area = 66058.54 sqm) at Khasra no. -150/2,150/1, 151,152/1, 154/2, 153, 152/2 Zone-1 (Garha) Colony- Sagda Tripuri, Jabalpur (MP) .Hence requires prior EC from SEIAA before initiation of activity at site.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 589th SEAC dated 06/08/2022 wherein ToR (Violation) was recommended.

PP has submitted the EIA report on the Parivesh portal which was forwarded on line by SEIAA to SEAC hence the same was scheduled in the agenda for EIA presentation.

The salient features of the project:

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

S N	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/439425/2023. (Old Case No. - 9085/2022) Violation Case
2.	Project Name	Mr. Nitin Dhimole, Director, 992 Sanjeevninagar, Garha, Jabalpur, (M.P.)- 482003 M/S ADAVITA DEVELOPERS AND PROMOTERS PVT. LTD., Group Housing Project "Shree Ram Heights" Group Housing Project " Shree Ram Heights" at Khasra No. 150/2,150/1, 151, 152/1, 154/2, 153, 152/2, Zone-1(Garha), Colony :- Sagda Tripuri, Jabalpur, Madhya Pradesh. (M P.)
3.	Area details (as per Form -1)	<i>Total plot area - 22,271 SQMTR, Built up Area - 44802.57 Sqm, Cat. - 8(b) Townships and Area Development projects.</i>
4.	EC Status	Fresh EC (Violation Case).
5.	Description of Project	The application for grant of environment clearance was submitted to MPSEIAA through on line proposal no SIA/MP/ MIS/ 75715/2022 dated 01.08.2022. Project was appraised in 589th meeting of SEAC dated 17.08.2022 SEAC. During appraisal it was admitted by project proponent that construction work at the site has already been initiated without securing the prior Environment Clearance form MPSEIAA. After deliberations, TOR's were issued under violation category vide no 1559/SEIAA/2022 dated 09.09.2022 as per provision of OM of MoEF&CC dated 07.07.2021 and 28.01.2022 , 15.07.2021 and SO no 1030 (E) dated 8th March 2018
6.	Proposed ToR Copy	Attached, Cat. 8(b) TOWNSHIP/ AREA DEVELOPMENT PROJECTS (As per MoEF &CC) Pg. 1-2 . <i>As the built up area of the project is less than 150000 Sq.m, hence, it is come under Category "B" , Schedule 8(a) of EIA notification dated 14th September 2006 and its subsequent amendments but due to violation category of project, we are applying for grant of Terms of Reference.</i>
7.	ToR details	TOR recommended in 589 SEAC meeting dated 17-08-22. TOR approved in 744 SEIAA meeting dated 30-08-22. TOR issued vide letter no. 1559-

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

		60/SEIAA/22 dated 09-09-22. EIA sent to SEAC on 18-08-23.
8.	Declaration	Violation Case
9.	Lat./Log.	23° 8'48.13"N & 79°55'37.89"E. (Conceptual Plan) Pg-1.
10.	Hight	30 mt. (Brief summary Page-1)
11.	Water Demand	Total Domestic Water Demand: 322.16 Say 323 KLD. Page - 92
12.	Water NOC(CGWA)	Apply letter dated 07/02/2022. (Old Case) Page-1
13.	MSW NOC	Apply JMC dt. 07/02/22.Municipal Solid Waste 1913 Kg/day. (Old Case) Page-1
14.	FAR	@ 2.00 Conceptual Plan. Page - 2
15.	T&CP Permission	Letter No. 778 dated 28/04/16. Page-88-92.
16.	Building Permission	0814 dated 09/06/2017 (Old Case) Page-3-17
17.	Water NoC	Apply JDA dt. 07/02/2022. (Old Case) Page-1
18.	Extra Treated Water NOC	Apply (278 KLD) JDA dt. 07/02/2022. (Old Case) Page-1
19.	Parking Proposed Area:	TOTAL PARKING PROPOSED = 451 ECS. (As per Form-1A) Page-4-5.
20.	Water requirement details	335.85 KLD says 335 KLD (As per Form-1A) Page-3.
21.	Waste Water Calculations	Domestic Water Requirement -323KLD, Total Fresh Water (70% of domestic water) 226 KLD, Flushing Water (30% of domestic water) 97

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	(As per Form-1A)	KLD, Waste Water (80% Fresh + 100% flushing) $180.8 + 97 = 277.8$ KLD and says 278 KLD, STP capacity 340 KLD, Page-3.
22.	Solid Waste details.	1,912.15 say 1913 kg/day. (Conceptual Plan) Pg-13.
23.	Achieved Green Area	
24.	Diesel power generating capacity (power backup)	Two DG sets of capacity 620 KVA & 250 KV, (As per Form-1A) Page-24.
25.	Development Permission	Letter No. 242/362 dated 29/11/2016.
26.	PFR	Ok (Page 1-14)
27.	EMP/ Env. Con	Env. Con. – Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.)..
28.	RWH details	Pits required = $136.94/23.19 = 5.90$ say 6 Pits. (As per Form-1A)
29.	Green Area details	Total green Area 10% of Net plot area 2,207.2

The case was presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and PP Mr. Nitin Dhimole, Director from M/S ADAVITA DEVELOPERS AND PROMOTERS PVT. LTD.

PP further submitted that the application for grant of environment clearance was submitted to MPSEIAA through on line proposal no SIA/MP/ MIS/ 75715/2022 dated 01.08.2022 under violation category. Project was appraised in 589th meeting of SEAC dated 17.08.2022 SEAC. During appraisal it was submitted by project proponent that construction work at the site has already been initiated without securing the prior Environment Clearance form MPSEIAA. M/s Adavita Developers and promoters Pvt.Ltd. has proposed to develop Group Housing Project “Shree Ram Heights” with a built-up area of 66058.54m² m² and the total plot area measuring 22271.00 m² .Project involves development of 12 Towers, namely Tower -1 to Tower-11 and Tower A1.Total number of dwelling units will be 725.

The land use of the project is residential as per Master Plan 2021 of Jabalpur Development Authority. The site has already been in possession of the project proponent and developers.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

It is anticipated that the construction activities of the proposed project would not have an adverse effect on the land use.

Construction Status and reason for violation :

Project involves development of 12 Towers, namely Tower -1 to Tower-11 and Tower A1. Total number of dwelling units will be 725. Out of that 4 number of Towers are under construction which covers almost 17,856.25 sq. mtrs of slab area out of total proposed built-up area. Hence total percentage of violation is 27 %

The total built up area as mentioned in the T&CP is 44802.57 sq mtrs . Project proponent was unaware of applicability of EC for the subject proposal consisting the built-up area more than 20000 sq mtrs as PP was in impression that it is applicable only beyond built up area of 50000 sq mtrs as per the gazette notification of MoEf7CC vide no 1132 (A) 13.03.2018. The said notification was quashed by the NGT which was not in knowledge of proponent. Later on while approached to Bank for loan in year 2021 , it was come in the knowledge that EC is applicable to our project , hence delayed occurred .

Construction Status			
S. No	Units details	Construction %	Remarks
1	Residential units (Flats)	27%	
2	Sewage Treatment Plant	0	Work have been stopped in lieu of environment clearance
3	Landscape/Plantation	0	
4	Road and internal circulation	0	
5	Rain water Harvesting Pits	0	

Occupancy details				
Type of dwelling units	Units proposed	Units completed	Units Incomplete/Not yet started	Possession Given
Flats	630	0	630	0
EWS/LIG	95	0	95	0

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

About The Project

- **Residential Project “Shree Ram Heights ”** at **Khasra No** Khasra no. - 150/2,150/1, 151,152/1, 154/2, 153, 152/2 Zone-1 (Garha) Colony- Sagda Tripuri, Jabalpur (MP) falls under Building and Construction project (Category 8a) of EIA notification 2006 as amended till date.
- **Regulatory Framework**
As per the EIA Notification dated September 14th, 2006, the project falls in Project / Activity8 (a) of the Schedule attached to the EIA Notification 2006 as amended till date. Therefore the project requires Environmental Clearance.
- **Chronology of the project:**

The application for grant of ToR for environment clearance was submitted to MPSEIAA through on line proposal no SIA/MP/ MIS/ 75715/2022 dated 01.08.2022 under violation category. Project was appraised in 589th meeting of SEAC dated 17.08.2022 SEAC. During appraisal it was submitted by project proponent that construction work at the site has already been initiated without securing the prior Environment Clearance from MPSEIAA. M/s Adavita Developers and promoters Pvt.Ltd. has proposed to develop Group Housing Project “Shree Ram Heights” with a built-up area of 66058.54m² m² and the total plot area measuring 22271.00 m² .Project involves development of 12 Towers, namely Tower -1 to Tower-11 and Tower A1.Total number of dwelling units will be 725. Out of that 4 number of Towers are under construction which covers almost 17,856.25 sq. mtrs of slab area out of total proposed built-up area. Hence total percentage of violation is 27 %

The total built up area as mentioned in the T&CP is 44802.57 sq mtrs . Project proponent was unaware of applicability of EC for the subject proposal consisting the built-up area more than 20000 sq mtrs as PP was in impression that it is applicable only beyond built up area of 50000 sq mtrs as per the gazette notification of MoEf7CC vide no 1132 (A) 13.03.2018. The said notification was quashed by the NGT which was not in knowledge of proponent. Later on while approached to Bank for loan in year 2021 , it was come in the knowledge that EC is applicable to our project , hence delayed occurred .

No sales has been done till date . No sales has been done till date . Only advances were taken which is about 25.69 crores No possession has been given till date as construction

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

has not been completed No loan has been taken from Bank . Project were being executed through advances taken from customers

Current Construction Status

Project involves development of 12 Towers, namely Tower -1 to Tower-11 and Tower A1.Total number of dwelling units will be 725. Out of that 4 number of Towers are under construction which covers almost 17,856.25 sq. mtrs of slab area out of total proposed built-up area. Hence total percentage of violation is 27 %

The EIA was presented by the PP and their consultant, wherein it was observed by the committee that PP has proposed Rs. 9,00,000 as cost of remediation and natural community resource augmentation plan. Following is the remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation:

Salient Feature of the project	
Total Land Area	Total Land Area = 22271 sq mtrs
Total Built up Area	Total Built Up area (Slab Area Including all common passages, parking, podium etc.) = 66058.54
Location of Project	Khasara no 150/2,150/1, 151,152/1, 154/2, 153, 152/2 Zone-1 (Garha) Colony- Sagda Tripuri, Jabalpur (MP)
Occupancy of land	Agreement with land owner
Features	Proposed
Facilities to be provided in housing project	<ul style="list-style-type: none"> • Entrance gate with entry/ exit & security. • Proposed 7.5 m, 6 m wide arterial road • Children's play ground • Disabled Friendly design • EWS/LIG
Dwelling Units	725
Total Plot Area	22271.00 sq mtrs

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

Built up Area	66058.54 sq mtrs
Number of Floors	10
Number of Towers	12
Height of Building	30 Mtrs
Total Water Requirement	5,12 KLD
Total Waste Water Generation	4,40 KLD
Total Fresh Water Requirement after recycling	3,58.40 KLD
Power Requirement	2600 KW
Backup Power facility	2 no. of D.G. sets with capacity of 125 KVA Solar unit of 30 KWH in first phase
Parking area	12175 + 5400
Parking Stilt (Ground floor) and Open Parking	451 + 2 90
Land Scape Area	2207 Sq mtrs
Width of internal roads	7.5M
Width of approach roads	9M

BUDGET FOR REMEDIATION AND AUGMENTATION PLAN								
Sr. No.	Environmental Factors/ Attributes	Remedial Plan/ Augmentation Plan	Remedial Cost		EMP	EMP Cost		Remarks
			Capital Cost	Recurring Cost		Capital Cost Lacs	Recurring Cost (Lacs per annum)	
1.	Land use as per Approved Master Plan by TNCP,	Broken land is as per master plan approved	-	-	Project cost comprising land and machinery	172.90 (owned	40.05	T & CP Letter No. 778/JBLLP2445/न

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	Bhopal	by T&CP (enclosed land use area breakup & Undertaking as Annexure – I,II&III) No Violation			cost	Land)		ग्रानि/16 dated 28/04/2016
2	Environmental Sensitive Places, Land Acquisition Status , Resettlement & rehabilitation	Adavita Developer and Promoters Pvt Limited is acting as developer and land agreement has been done with the land owner. land revenue record No R & R Applicable No Violation	-	-	Adavita Developer and Promoters Pvt Limited is acting as developer and land agreement has been done with the land owner. land revenue record No R & R Applicable No Violation			EIA study has been done and environment management plan shall be implemented
3	Baseline Environmental Quality	All the parameters are in the comfort zone during the monitoring done for EIA study Monitoring is not done for construction period @ 25000/ year * 2 Years (2 Air, 2 noise , 1 water)	--	0.50 (Amount may be proposed for additional plantation)	-	-	-	We have done EIA study. All baseline data results are found satisfactory
4	A) Land	Total land area 22271 sq.mt., Proposed Ground Coverage @ 23.96% = 5335.99 Sq.mt., Top Soil – 20918.20 cum (0.5 m depth) Excavated material – 32687.45 cum (7 m Depth) Total quantity of topsoil will be used for the development of landscaping area	-	-	Advaita Developers & Promoters Pvt. Ltd, Jabalpur (MP) is developing project over agreement site . enclosed land revenue record	-	-	No violation
	B) Ground Water	No ground bore well is done for	--	--	Not applicable, till date no bore	--	--	For operational phase builder has

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

		construction purpose. No Violation			well for ground water tapping is proposed for construction phase.			obtained permission from JMC
4	C) Surface water	Not applicable , No Water body exist within the project lease area	--	-	Not applicable	--	--	No violation
	D) Air	Water sprinkling was not done	-	0.50	Construction period = 1 years, Working Day = 200 day Per day water requirement = 6 KLD (1 Tanker @ 250/ tanker)	0	0.82	Violation occurred
	E) Biodiversity	-	--	--	Not Applicable	--	--	No change were done in the biodiversity of the area.
	f) Noise & Vibration	Site is fully barricaded at the time of construction All modern and new machinery was used at site. Total RMC had been used. Bills will be submitted in hard copies.	--	--	All machines and new machinery will be used on site	--	--	No violation
4	g) Socio economy & Health	-	-	-	-	-	--	Done in EIA study
	g.a) Occupational Health checkup for 25 Workers	Initial Medical Examination (IME) not done for workers Deployed on site . onwards.	--	1.25 Lacs @ 5000 per person (amount may be proposed for plantation)	Regular Medical Examination (IME) for 25 workers deployed on Site for further 03 years	--	3.75	Total Calculated value for occupational health and checkup, PPE's and Worker's Shelter have been covered under remedial cost.
	g.b. Personal Protection Equipment's	All required necessary PPE's not provided to the workers by the Contractor.	--	0.50	Helmet, Jackets ,hand gloves & Boots will be Provide to Workers	6.12	2.04	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	g. c. Shelter and Sanitation for workers	Temporary shelter & Mobile toilet has not been provided to the workers. Initially it was not there. Will be installed during further construction	0.50 Lacs	0.50 (amount may be proposed for additional plantation)	Provision of Temporary shelter & Mobile toilet will be extended in numbers during the time of construction for workers	--	--	Violation occurred .
5	Contour Plan With slopes, Drainages pattern of the site and surrounding area any obstruction of the same by the projects.	No conversion is done in storm water drainage pattern around site	-	-	--	0	0	No violation
7	Tree plantation	Total 34 trees will be planted & development of landscaping area. No green belt development has been initiated till date	0.75	-	landscaping development (Approx. 34 Trees will be planted)	0.10	0.20	-
8	Permission For Forest Land	Not Applicable	-	-	Not Applicable	-	-	No forest area is involved in this project.
9	Environment policy	Mentioned in the Terms & Condition of mutual Agreement with contractor	-	-	Terms & Condition of the policy is part of Work Order awarded to Contractor by the PP	-	-	Policy is part of Terms & Condition of mutual Agreement
10	Ground Water Classification	It is in Safe zone No ground water withdrawal is proposed	-	-	--	-	--	For operational phase builder has obtained permission for water supply JMC.
11	Source of water , Water Requirement ,use of treated waste Water And waste water Treatment	Water demand fulfill by the daily basis tankers during construction phase and during operation	-	-	450KLD STP will be installed. Excess treated water to sewer line of JMC	100 Lacs	18 Lcas	Municipal Water supply permission has been obtained

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

		water supply system of JMC will be used . After reuse and recycling, net fresh requirement will be 358 KLD. Total 440 kld waste water will be generated Installation Of 450 KLD. STP with dual plumbing system is proposed Quotation invited						
12	Dual Plumbing	Dual plumbing for all 12 blocks will be constructed for the project as soon as tower will be completed	-	-	Dual plumbing for all 11 blocks will be constructed for the project as soon as tower will be completed	10 Lacs	02 Lacs	
13	Rain Water Harvesting	Rain water harvesting pit will be constructed for the project.	0	0	Total 6 nos. of pits are proposed on site for operation phase	2.0	0.50 Lacs	--
14	Soil Characteristics & Ground Water Table Top Soil Conservation	Total land area 22271 sq.mt., Proposed Ground Coverage @ 23.96% = 5335.99 Sq.mt., Top Soil – 20918.20 cum (0.5 m depth) Excavated material – 32687.45 cum (7 m Depth) Total quantity of topsoil have been used for the development of landscaping area	--	--	8m depth of rain water harvesting pits have been proposed,	--	--	No violation
15	Solid Waste Generation Treatment	Construction waste will be utilized under backfilling	1.0	0	Solid Waste will be reused in proposed boundary wall	0.60	1.10	MSW NOC is attached with hard

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

		during construction. No waste have been stacked or disposed out side of the premises No waste management plan is in place			& stone pitching to reduce RCC work on site During operational phase , it will be disposed off through JMC			copy reply.
16	Energy conservation & Energy Efficiency (LED bulb & Solar System)	Solar power system is proposed 30 KW prior to completion of construction	-	--	Provision of the solar panels for streets lighting & common areas and LED light for project	20	2.85	We have proposed Solar Power of 30 KW.
17	D G Sets	DG set were not used during construction . DG set of 2X 125 KVA are proposed for operation phase.	-	-	-	--	--	DG set not used in construction phase.
18	Parking & Roads	Approach road already exists sufficient space will be provided for Parking	-	-	Parking Area – 5400+6775 =12175 sq mtrs for 451 cars Sq.mt. & Road Area – 2328.50 Sq.mt.	--	--	All adequate Parking facilities will be provided as per T&CP norms.
19	Transportation of materials for construction	Till date 27% construction have been done. Transportation and storage of material had not been done in appropriate manner. Hence we are Proposing some rounded amount under remediation Plan	1.0 Lacs	0.50 (amount may be proposed for plantation)	Storage hall/service yard will be made for materials stacking during further 20% construction.	--	--	Violation occurred
20	Disaster Management Plan	-	-	-	Centralized control room with ERP System will be provided	--	--	constructed area.
	a)Fire	Machines and site are not equipped with their fire	0.30	0.25	Fire fighting organizing and arrangement: External fire	10.00	1.75	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

		extinguishing equipments. Till date only 27% construction have been done			hydrant system, hose pipes, pumps with control panel, overhead tanks, first aid, fire extinguishers, sand buckets, Manual and automatic fire alarm, main security room etc.			
20	a) Accidental & First aid etc.	No First aid kit & room provided on site, No accident or injury is reported during the earlier construction period.	0.15	0.50 (amount may be proposed for plantation)	First aid kit for worker's safety on site	-	-	-
	a) Safety	No loading machines, dumpers & Equipments will be deployed as per safety norms	-	0.25	All loading machines, dumpers & Equipments will be deployed as per safety norms mentioned in Agreement.	-	-	-
			3.70	4.75		172.90	40.05	
		Total Capital cost for Remedial Plan	Say	3.70 @ 4 Lacs	Total capital cost for EMP	Say	172.90 Lacs.	
		Total Recurring cost for Remedial Plan	Say	4.75 @ 5 Lacs	Total Recurring Cost for EMP	Say	40.05 Lacs.	
			Total	9.0 Lacs				

BUDGET ALLOCATION FOR ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN (EMP)-

9.5.1 CONSTRUCTION PHASE

TOTAL COST (EMP + PLANTATION + MONITORING)		
Particular	Rs In lacs Capital	Rs in Lacs per annum – Recurring
Plantation (Capital cost) 250/- per plant	0.10	-

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

Maintenance of Plantation @ Rs 45/- per plant	-	0.20
Sub Total	0.10	0.20
Personal Protective Equipments (Mask, Gloves, Goggles, shoes, ear plugs) workers@1500.00	6.12	2.14 (Rs 500 per head)
OHS, first aid and other welfare activities workers @ 1000.00	6.12	0.81 (Rs 200 per head)
Fire fighting arrangement 6kg fire extinguisher @50 no at each floor total 350 no @ 2000/-, Caution board, fire buckets	10	1.75 @500 refilling cost
Sub Total	20.20	4.60
Collection bin at complex 30 (15 Dry and 15 Wet) at each floor : Total 7 floor : 210 Number Capacity- 5kg each@200Rs	0.60	1.10 (15 km running@20/- per Km*365days)
Sub Total	0.60	1.10
Post Environmental Monitoring cost	Capital cost for STP : 100	Monitoring Cost : 2.80 Lacs STP O&M Cost : 18 Lacs
Sub Total	100	20.80
RWH	2.0	0.50
Provision of Solar electrical PV panels/ lights	20	2.85
Sub total	22	3.35
Total EMP cost	172.90	40.05

Thus as above, PP has proposed Rs. 1,81,90,000.00 (Rs. 9,00,000 as Remediation Cost and Rs. 1,72,90,000 as EMP) for this project and PP, M/ Adavita Developers And Promoters Pvt Ltd has proposed to submit bank guarantee of INR Rs. 9,00,000 towards Remediation Plan.

Committee after considering the reply recommends that PP may be asked to deposit the bank guarantee (BG) with three years validity of Rs. 9,00,000 (equivalent to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA as per the procedure laid down in the MoEF&CC Notification dated 08/03/2018.

The total cost incurred till date is Rs 1737.83 lacs without land cost and Rs 1744.34 Lacs inclusive of land cost i.e. Rs 6,51,000/- (Certificate from CA is enclosed)

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

Considering the Su -moto Declaration of Violation incurred Penalty of 0.5% is considered on the incurred cost which is Rs. 8.69 Lacs (without land cost) and 8.72 Lacs (With Land cost) as per clause 12 a.i. of MoEF&CC Notification dated 08/03/2018 and OM dated 07/07/21 as decided by SEIAA and proof of credible action under section 15 read with section 19 of the Environmental (Protection) Act,1986 as per clause 11, step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21. PP has requested that since in the Govt project, land cost is not being considered for calculation of Penalty, he made request to consider the same for private project also. The case may be considered subject to **deposit bank guarantee of Rs. 9.0 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA.**

The EIA/EMP and other submissions made by the PP , were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of Environment Clearance for Construction of Residential Project "Shalimar Palms" (Total Project Area = 22271 sqm., Built-up Area = **66058.54** sqm) at Khasra no. - Khasra no. -150/2,150/1, 151,152/1, 154/2, 153, 152/2 Zone-1 (Garha) Colony- Sagda Tripuri, Jabalpur (MP) For - Building Construction Project Category: 8(a), subject to the following special conditions and submission of bank guarantee (BG) with 03 years validity of Rs. **9,00,000** Lakhs (equivalent to amount proposed in remediation and resource augmentation plan) with the MP Pollution control Board , with following additional conditions:

Statutory Compliance

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building code including protection measures from lightening etc.
- iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
- iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

- v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- vii. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.

II. Air Quality Monitoring and preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. Diesel power generating sets (2 X 125 KVA) proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
- vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

- viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- xi. The gaseous emission from DG set (2 X 125 KVA) shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
- iii. The total water requirement during operation phase is 512 KLD out of which 358.40 KLD is fresh water requirement and 352 KLD will be the total treated water generated. 174 KLD treated water will be used for flushing and, for horticulture.
- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be to monitor to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

- vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
- xiii. For rainwater harvesting, 06 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 390 m³/hr . Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
- xiv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xv. No ground water shall be used during construction phase of the project.
- xvi. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xvii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

- xviii. Sewage shall be treated in the STP based on MBBR based technology (Capacity - 450 KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.
- xix. During operation phase total 440 KLD waste water will be generated from the project which will be treated up to primary level by installing coarse and fine screen, evaporation tank, O&G removal grit chamber and primary settling tank.
- xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 450 KLD capacity (based on MBBR based technology) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.
- xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
- xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

V. Energy Conservation measures.

- i. PP shall ensure power generation from solar power to achieve 30% of the total power consumption.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

- ii. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- iii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iv. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- v. Energy conservation measures like installation of CFLs/LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

VI. Waste Management

- i. Total waste 1913 Kg/day, this consist all types of wastes , horticulture waste 15.0 Kg/day, E- waste about 1.0 Kg/Annum , and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.
- ii. Basic facilities like wash rooms and toilets (02 nos.) for the use by employees, guard, gardeners, outside drivers and house hold workers shall be provided to avoid open defecation in the nearby areas.
- iii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
- iv. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- v. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste 1.913 ton/day) shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- vi. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.
- vii. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- viii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.

- ix. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.
- x. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
- xi. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

Vii. Green Cover

- i. Total Green area in Project- 6896 Sq.m. with 500 number trees
- ii. No tree shall be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolute necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (Planted).
- iii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iv. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stock piled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.
- v. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

VIII Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points
 - d. Parking norms as per local regulation
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- iii. Parking's arrangement for 740 ECS shall be provided as proposed by PP.
- iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP & Corporation Environment Responsibility

- i. **PP M/s. Adavita Developers and promoters Pvt.Ltd Jabalapur (MP), has proposed Rs. 1,81,90,000.00 (Rs. 9,00,000 as Remediation Cost and Rs. 1,72,90,000 as EMP) for this project.**
- ii. **The PP M/s. Adavita Developers and promoters Pvt. Ltd Jabalpur has proposed to submit bank guarantee with 03 years validity of INR 9,00,000 towards Remediation Plan and Natural & Community Resource Augmentation Plan with the M.P. Pollution Control Board .**
- iii. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
- v. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- vi. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

XI. Miscellaneous

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
- iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. **Case No 10470/2023 Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL उप महाप्रबंधक**
संभागीय कार्यालय टीकमगढ़, MP. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj,
Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar Tikamgarh (M.P.), Prior
Environment Clearance for Madhori Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (15600 cum
per year) (Khasra No. 1), Village-Madhori, Tehsil- Lidhora, District Tikamgarh
(M.P.)

परियोजना प्रस्तावक श्री नागेन्द्र सिंह एवं श्री एस. जेड अली, खनिज अधिकारी, जिला टीकमगढ़ एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा. लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 11/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला टीकमगढ़

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (उपमहाप्रबंधक) संभागीय कार्यालय टीकमगढ़, Mp. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj, Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar Tikamgarh (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.0 hectare.
स्थल	Village-Madhori, Tehsil- Lidhora, District Tikamgarh (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2- 2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1/बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान सपरार नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-15,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-15,600 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4602 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4602 दिनांक 21/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4602 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/ सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मडोरी जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-40 के सरल क्रमांक-5 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल-15,600 घनमीटर उल्लेखित है,	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15,600 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों सहित निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-15,600 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 03.85 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.16 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक शाला, पेटपुरा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर तट से-1) 3 पंक्तियों में	करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	200
	ग्राम मड़ोरी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2200

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।
 - ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा ।

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. Case No 10471/2023 Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL उपमहाप्रबंधक
संभागीय कार्यालय टीकमगढ़, MP. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj,
Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar Tikamgarh (M.P.), Prior
Environment Clearance for Guda Nadi Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (7200 cum
per year) (Khasra No. 01), Village-Gura, Tehsil-Jatara, District-Tikamgarh (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री नागेन्द्र सिंह एवं श्री जेड अली, खनिज अधिकारी, जिला टीकमगढ़ एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंडिया रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 11/10/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला टीकमगढ़.

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (उपमहाप्रबंधक) संभागीय कार्यालय टीकमगढ़, Mp. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj, Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar Tikamgarh (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.0 hectare.
स्थल	Village Guda Nadi, Tehsil Jatara, District Tikamgarh (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान गुडा नदी में स्थित है। लीज क्षेत्र की सीमा से निचली जल धारा में एक स्टोप डेम स्थित है जिसकी लम्बाई 150 मीटर है। इसी प्रकार ऊपरी जल धारा में भी लगभग 1.2 कि.मी. दूर एक स्टोप डेम स्थित है। ब्रिज से 1 कि.मी. का सेड-बेक देने पर लीज क्षेत्र समाप्त हो जाता है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-7200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-7200 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4594 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

की अनापत्ति	क्रमांक 4594 दिनांक 21/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 4594 दिनांक 21/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिमरिया जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2 दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-40 के सरल क्रमांक-12 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-7200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7200 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया गया कि इस प्रकरण में खनन क्षेत्र से लगभग 32 मीटर पर एक वृहद् श्रेणी का ब्रिज है अतः Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

4. **Case No -10454/2023 Shri Ashish Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for**

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

Basaimalak-1 Sand Quarry in an area of 4.98 ha. (58,800 cum per year) (Khasra No. - 01), Village-Basaimalak, Tehsil-Seondha, District-Datia (MP).

प्रस्तावित खदान का दिनांक 11/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh, खनिज विभाग से खनिज अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, कियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री दिनेश पटेल, खनिज अधिकारी, जिला – दतिया की अनुमोदित डी.एस.आर में सूचीबद्ध है। रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान सिंध नदी पर ग्राम बसईमलक के निकट 4.98 हे. क्षेत्रफल पर 58,800 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मैप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है।

प्रकरण का परिक्षण

प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया था कि यह लीज क्षेत्र से लगभग 800 मीटर दूर निर्माणाधीन ब्रिज स्थित है अतः 1 कि.मी. का सेट-बैक दिया जाना होगा। Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा “एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि संरचना की सुरक्षा की दृष्टि से खनन कार्य, संरचना से कितनी न्यूनतम दूरी पर संपन्न किया जाये इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी के उक्त अनुरोध को मानते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

5. **Case No -10460/2023 Shri Janmejay Singh, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Ikodiya Belka Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (5,000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Ikaudiya, Tehsil-Raghogarh, District-Guna (MP) [431927].**

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

प्रस्तावित खदान का दिनांक 11/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ashish Singh, खनिज विभाग से खनिज अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, कियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री दिनेश पटेल, खनिज अधिकारी, जिला— दतिया की अनुमोदित डी.एस.आर के सरल क्रमांक 14 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान पार्वती नदी पर ग्राम इकोदिया बेलका के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 5,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक— बी अनुसार स्टैण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 5000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.01 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 0.97 लाख प्रति वर्ष ।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी.ई.आर मद से 10,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम इकोदिया बेलका के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में अधोसंरचना विकास हेतु जमा की जावेगी।	10000

- निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से	1-3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन घास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास	150

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	6 पंक्तियों में)	एवं स्थानीय घास	
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	100
		6 पंक्ति - गूल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	50
2	ग्राम- इकोदिया बेलका के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1200
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा :- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर अपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुसंशा की जाती है ।

6. Case No 10452/2023 Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL
प्रबंधक संभागीय कार्यालय भोपाल, **172, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, BHOPAL (M.P.) Prior Environment Clearance for Dhimroli Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (3600 cum per year) (Khasra No. 163), Village-Dhimauli, Tehsil-Sironj, District-Vidisha (MP)**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र वाजपेयी, खनिज विभाग से सहायक खनिज अधिकारी श्री पंकज वानखड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक) संभागीय कार्यालय भोपाल, 72

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	163 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	VILLAGE- DHIMROLI, TEHSIL-SIRONJ, DISTRICT- VIDISHA (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कैथन नदी में स्थित है। खदान से पूर्व दिशा में ऊपरी जल धारा पर डैम स्थित है अतः लीज क्षेत्र में 500 मीटर का सेट-बैक देने के बाद मात्र 1 हे. क्षेत्र खनन योग्य है, जिसमें से केवल 3000 घनमीटर रेत प्रति वर्ष निकाली जा सकती है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-3600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-3600 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 701 दिनांक 24/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 701 दिनांक 24/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 701 दिनांक 24/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरगनाखेड़ी जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-5 दिनांक 01/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से पंचायत कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-37 के सरल क्रमांक-12 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-3600 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-3600 घनमीटर/वर्ष	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।
--	--

- यह खदान कैथन नदी में स्थित है। खदान से पूर्व दिशा में ऊपरी जल धारा पर डैम स्थित है अतः लीज क्षेत्र में 500 मीटर का सेट-बैक देने के बाद मात्र 1 हे. क्षेत्र खनन योग्य है, जिसमें से केवल 3000 घनमीटर रेत प्रति वर्ष निकाली जा सकती है।
- परन्तु उक्त खदान को पूर्व में पत्र क्रमांक 5311 दिनांक 23/03/2020 द्वारा 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी। अतः उक्त के दृष्टिगत वर्तमान में भी 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्खनन क्षमता हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित की जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों सहित निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत—3600 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 02.28 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.76 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय बडोदा ताल के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में	करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	400
2	ग्राम दिमरोली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।		
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।		
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।		

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा :- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर अपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

7. Case No 10467/2023 Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक गीयभासं कार्यालय भोपाल, 172, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, BHOPAL (M.P.) Prior Environment Clearance for Jhagar Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (3600 cum per year) (Khasra No. 276), VILLAGE- JHAGAR, TEHSIL-SIRONJ, DISTRICT- VIDISHA (M.P.)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र वाजपेयी, खनिज विभाग से सहायक खनिज अधिकारी श्री पंकज वानखडे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इन्वायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक) संभागीय कार्यालय भोपाल, 72 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	276 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	VILLAGE- JHAGAR, TEHSIL-SIRONJ, DISTRICT- VIDISHA (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कैथन नदी में स्थित है।	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-3600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-3600 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 699 दिनांक 24/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 699 दिनांक 24/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 699 दिनांक 24/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरगनाखेड़ी जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-5 दिनांक 01/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-37 के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-3600 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-3600 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों सहित निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-3600 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 02.40 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.18 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक शाला, झागर के पालक शिक्षक संघ में	10,000

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में (करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि	1000
2	ग्राम दिमरोली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1400

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा :- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर अपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुसंशा की जाती है ।

8. **Case No 10437/23 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Mathni Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (2040 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Mathni, Tehsil-Sausar, District-Chhindwara (MP)**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हरि शंकर शुक्ला, खनिज विभाग से सहायक खनिज अधिकारी सुश्री स्नेहलता थौरे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स परिवेश इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री रविन्द्र परमार खनिज अधिकारी समिति के समक्ष उपस्थित थे।

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Mathni, Tehsil- Sausar District- Chhindwara (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कन्हान नदी में स्थित है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-2040 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-2040 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 669 दिनांक 14/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 669 दिनांक 14/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 669 दिनांक 14/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रंगारी जिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 22/06/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन का प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-44 के सरल क्रमांक-37 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-2040 घनमीटर उल्लेखित	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2040 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों सहित निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-2040 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.47 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.20 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 5500 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt Middle School, Mathni	5,500

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	River Bank Side	Planting of Khass grass slips in 3 to 5 rows with the gap of 1 to 1.5-feet in a row	500
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	900
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

9. **Case No 10466/2023 Shri ARJUN SHRIVASTAVA, OIC-MPSMCL** (कनिष्ठ प्रबंधक संभागीय कार्यालय भोपाल, **Apollo paradise, Bawadiya Kalan, Near Minal Enclave, Gulmohar, Huzur, Bhopal (M.P.), Prior Environment Clearance for Chhindgaonkachhi Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (66000 cum per year) (Khasra No. 63), Village-Chhidgaonkachhi (Chhitgaon), Tehsil-Nasrullaganj, District-Sehore (MP)**)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/10/23 को परियोजना प्रस्तावक अर्जुन श्रीवास्तव, खनिज विभाग से खनिज अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह परमार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंडिया रो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri ARJUN SHRIVASTAVA, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) संभागीय कार्यालय भोपाल, Apollo paradise, Bawadiya Kalan, Near Minal Enclave, Gulmohar, Huzur, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	63 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	5.00 hectare.
स्थल	Village - Chhindgaonkachhi, Tehsil- Nasrullaganj, District- Sehore (M.P.).	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान नर्मदा नदी में स्थित है। डी.एस.आर में उल्लेखित कॉर्डिनेट्स एवं वास्तविक कॉर्डिनेट्स का मिलान नहीं पाया गया। अतः डी.एस.आर. में कॉर्डिनेट्स में सुधार कर प्रस्तुत करेंगे।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-66,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-66,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1287 दिनांक 16/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1287 दिनांक 16/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1287 दिनांक 16/05/23 अनुसार आबादी लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत छिदगांवकाछी जिला सिहोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-5 दिनांक 15/08/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से कोई अनापत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-... के सरल क्रमांक-... पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-..... घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 66,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिये गये अंक्षास-देशांस सही नी होने के कारण खनन योजना में दिये गये अंक्षास-देशांस के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया गया। समिति द्वारा खनिज अधिकारी को निर्देश दिये कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शित अंक्षास-देशांस आवश्यक संशोधन कर रिपोर्ट को पुनः प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों सहित निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-66,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.28 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.58 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.75 लाख हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी ।	75,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(3-1पंक्ति – खस घास, करौंदा, करंज अर्जुन एवं स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	800
2	ग्राम छिन्गाँव काछी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	5200
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No 10439/23 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Hivrahanderaywar Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (11880 cum per year) (Khasra No. 330), Village-Hivrahanderaywar, Tehsil-Sausar, District-Chhindwara (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हरि शंकर शुक्ला, खनिज विभाग से सहायक खनिज अधिकारी सुश्री स्नेहलता थौर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स परिवेश इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री रविन्द्र परमार खनिज अधिकारी समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	330 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Hivrakhandaraywar, Tehsil- Sausar District- Chhindwara (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कन्हान नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-11,880 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-11,880 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 310 दिनांक 03/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 310 दिनांक 03/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 310 दिनांक 03/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हिवरा खण्डेरायवार जिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 05/07/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन का प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-44 के सरल क्रमांक-38 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-11,880 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 11,880 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों सहित निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-11,880 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 02.45 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.15 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt Middle School, Hivrakhandaraywar	10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	River Bank Side	Planting of grass slips in 3 to 5 rows with the gap of 1 to 1.5-feet gap in a row	400
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	800

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No 10468/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), Ward no. 16, opp. Jalalabad bank colony, Babai road, Narmadapuram, (M.P.). Prior Environment

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

Clearance for Sarra Junehta Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (67200 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Junehta, Tehsil-Bankhedi, District-Narmadapuram (M.P.).

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 10/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल सिंह, खनिज विभाग से ड्राफ्ट्स मेन श्री गौरव प्रजापति एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री महेन्द्र पटेल एवं श्री देवेश मरकाम, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri GOPAL SINGH, Junior Manager (Field), Ward no. 16, opp. Jalalabad bank colony, Babai road, Hoshangabad (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village- Junehta, Tehsil- Bankhedi, District- Narmadapuram, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान दुधी नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-67,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-67,000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरक के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1600 दिनांक 29/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरक के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1600 दिनांक 29/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरक के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1600 दिनांक 29/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बनखेडी जिला नर्मदापुरक के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-5 दिनांक 08/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है किंतु नदी की ओर मेन रोड़ तक आने के लिए ग्राम के अंदर के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, अतः ग्राम सभा ग्राम के अंदर से वाहन निकालने के लिए असहमत है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-61 के सरल क्रमांक-39 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-67,200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 67,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों सहित निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-67,000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 02.33 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.89 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय, जुनेहटा के पालक शिक्षक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी ।	1,00,000
अधोसंरचना विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, जुनेहटा के पालक संघ में धन राशि जमा कराई जाएगी ।	40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में (3-1 पंक्ति – खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	2499
		4-5 पंक्ति- कटंग बांस (दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा)	506
		6 पंक्ति- करंज, जामुन, कहवा, एगेव, करौंदा, सीताफल, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	211
2	ग्राम जुनेहटा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, करंज, अर्जुन, मुनगा, एगेव, करौंदा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, जामुन, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1584
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. Case No 10462/2023 Shri Rajendra Porwal S/o Shri Nandlal Ji Porwal, R/o 6, Sanjeet Road, District-Mandsaur (MP)-458001, Prior Environment Clearance for Dhagraniya Stone Mine in an area of 1.13 ha. (62283 cum per year) (Khasra No. 452,453), Village-Dhagraniya, Tehsil-Rahatgarh, District-Sagar (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 10/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र पोरवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा. लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RAJENDRA PORWAL, Owner, S/o Nandlal Ji Porwal, 6, Sanjeet Road, Mandsaur, Mandsaur, Madhya Pradesh 458001.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	452,453 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू-स्वामी की परियोजना प्रस्तावक को सहमति प्राप्त) 1.13 hectare.
स्थल	ग्राम DHAGRANIYA तसहील Rahatgarh जिला Sagar (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 750 दिनांक 16/05/23 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-62,283 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-62,283 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 872 दिनांक 25/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 872 दिनांक 25/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 872 दिनांक 25/07/23 अनुसार 500 मीटर की दूरी पर शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक भवन (पंचायत भवन) एवं कच्चा रास्ता 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ढगरानिया जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 24/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - NO Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एक कच्चा रोड़ उत्तर पश्चिम दिशा-लगभग 14 मीटर पर स्थित है अतः 50 मीटर तक का एरिया गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है, जिसे सर्फेस मेप में दर्शाया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर ने पत्र क्रमांक 873 दिनांक 25/07/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त प्रकरण में संपूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरांत उत्खनिपट्टा को आगामी जिला

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	<p>सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेग ।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।</p>
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों सहित निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-62,283 मी³ प्रति वर्ष ।
- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये ।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम, 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये । उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे ।
- प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में क़शर स्थापित नहीं किया जावेगा । क़शर हेतु पास की भूमि ली जावेगी तथा नियमानुसार भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन करवाने के पश्चात् क़शर स्थापित किया जावेगा ।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 07.05 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 04.73 लाख प्रति वर्ष ।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय पाठशाला ढगरानिया के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	1,00,000

- निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में एवं ब्लॉक एरिया में	अमरुद , नीम आम, जामुन, चिरोल, करंज, एवं सीताफल,कटहल) हर चार पौधे के बीच में (एवं अन्य फलदार वृक्ष	1400
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण)पौधों की न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर (कला सिरस, नीम, शीशम) सिस्सू(, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय ।)ट्री-गार्ड के साथ (50
3	ग्राम ढगरानिया के ग्राम वासियों में पौधों का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, सीताफल एवं अमरुद एवं अन्य फलदार वृक्ष	550
गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना ।			
कुल			1200

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No 10453/2023 Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक संभागीय (कार्यालय भोपाल, 172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, BHOPAL (M.P.) Prior Environment Clearance for Sirwali Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (3750 cum per year) (Khasra No. 17), Village-Sirawali, Tehsil-Kurwai, District-Vidisha (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र वाजपेयी, खनिज विभाग से सहायक खनिज अधिकारी श्री पंकज वानखड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इन्वायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक) संभागीय कार्यालय भोपाल, 72 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल	17 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

(सरकारी/निजी)		
स्थल	Village Sirawali, Tehsil Kurwai, District Vidisha (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान बेतवा नदी में स्थित है, जिसमें पानी का भराव देखा गया। परन्तु खनिज अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 2025 दिनांक 10/10/23 के माध्यम से अवगत कराया गया कि नदी गर्मियों में सूख जाती है तथा चाही गई मात्रा में रेत का उत्खनन किया जा सकता है। एकल प्रमाण पत्र में नदी का नाम सगड़ दर्शाया गया है, जो गलत है। अतः उक्त को सुधार कर एकल प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत किया जावेगा।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-3750 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-3750 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1299 दिनांक 05/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1299 दिनांक 05/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1299 दिनांक 05/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिरावली जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 13/07/23 अनुसार उपस्थित सदस्यों द्वारा बताया कि उक्त खदान जो कि लरेठी (कुरवाई) स्टॉप डेम से पूरे 12 महीने लगभग 50 फीट पानी में डूबी रहती है और यहाँ पर किसी भी प्रकार ओपन रेत नहीं है । यदि यह रेत खदान फिरभी नीलाम की जाती है तो पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-37 के सरल क्रमांक-1 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-3750 घनमीटर उल्लेखित है,	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3750 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।
--	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों सहित निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-3750 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 03.18 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.17 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय हाई स्कूल, सिहोरा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम सिरावली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2400
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा :- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर अपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुसंशा की जाती है ।

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

14. Case No 10451/2023 Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक संभागीय/कार्यालय भोपाल, 172 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, BHOPAL (M.P.) Prior Environment Clearance for Khartari Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2925 cum per year) (Khasra No. 223), Village-Kharthari, Tehsil-Basoda, District-Vidisha (MP))

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र वाजपेयी, खनिज विभाग से सहायक खनिज अधिकारी श्री पंकज वानखड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इन्वायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAJENDRA BAJPAI, OIC-MPSMCL (प्रबंधक) संभागीय कार्यालय भोपाल, 72 gh, Opp-Govt. Middle School, Village- Bawadia Kalan, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	223 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	5.00 hectare.
स्थल	Village Khartari, Tehsil Basoda, District Vidisha. (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान बेतवा नदी में स्थित है । एकल प्रमाण पत्र में नदी का नाम सगड़ दर्शाया गया है, जो गलत है। अतः उक्त को सुधार कर एकल प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत किया जावेगा ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-2925 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-2925 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1313 दिनांक 05/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1313 दिनांक 05/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1313 दिनांक 05/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खरथरी जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-8 दिनांक 01/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-37 के सरल क्रमांक-9 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-2925 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2925 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिये गये अंक्षास-देशांस सही नहीं होने के कारण खनन योजना में दिये गये अंक्षास-देशांस के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया गया। समिति द्वारा खनिज अधिकारी को निर्देश दिये कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शित अंक्षास-देशांस आवश्यक संशोधन कर रिपोर्ट को पुनः प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों सहित निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-2925 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 03.24 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.15 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय मध्य विद्यालय, कंजना के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम खरतरी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा :- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर अपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुसंशा की जाती है ।

15. Case No 10463/2023 Smt. Sanjulata Jain, Lessee, R/o 574, Dhekaha Ward No. 3, Panjhreh Bazar , District-Singrauli (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Jhingurda Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18169 cum per year) (Khasra No. 33/1, 34/1), Village-Waidhan, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP)

प्रस्तावित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा (डिया) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके री-एप्राइजल हेतु प्रकरण आज दिनांक 11/10/2023 को रखा गया था। परियोजना प्रस्तावक श्रीमति संजुलता जैन बैठक में उपस्थित नहीं रही। एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Mr. Syed Iqtadar Tanweer Ultra Tech Environmental Consultancy, Laboratory उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Smt. Sanjulata Jain, Lessee, R/o 574, Dhekaha Ward No. - 3, Panjhreh Bazar, District - Singrauli (MP) - 486001, Prior Environment Clearance for Jhingurda Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18,169 cum per year) (Khasra No. 33/1, 34/1), Village-Waidhan, Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP) [438360].
परियोजना का खसरा	खसरा नं.-33/1, 34/1, एरिया- 2.00 ha., Govt. Land

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

परियोजना स्थल	ग्राम— बैठन, तहसील – सिंगरौली, जिला— सिंगरौली (म.प्र.)
सैधातिक सहमति	पत्र क्र०. दिनांक 15/09/2017.
परियोजना की श्रेणी	बी-2.
खनन कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
डिया द्वारा जारी ई. सी. का विवरण (यदि लागू हो)	पत्र क्र०. 225 दिनांक 03/02/2018 द्वारा स्टोन कशिंग क्षमता – 18060 घनमीटर/ वर्ष हेतु जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक से पूर्व में प्रदत्त ई.सी. के परिपेक्ष्य में बिन्दु क्र०. 13 एवं 15 के परिपेक्ष्य में पालन प्रतिवेदन लिया जाना प्रस्तावित है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर – 18,169 घन मी/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर—18,169 घन मी./वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 30/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/नगर निगम की अनुमति	कार्यालय, नगर पालिक निगम जिला – सिंगरौली का पत्र क्र०. 5376 दिनांक 24/06/2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-41 के सरल क्रमांक – 80 पर दर्ज है।

यह प्रकरण समिति के समक्ष री-एपराईजल हेतु सिया के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्रकरण में उल्लेखित खदान को जिला स्तरीय समिति द्वारा पत्र क्र०. 225 दिनांक 03/02/2018, स्टोन कशिंग क्षमता – 18060 घनमीटर/ वर्ष के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण के री-एपराईजल हेतु परियोजना प्रस्तावक निम्न जानकारी प्रस्तुत करें।

1. Land status/form- PII

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

2. Area & Location with Khasra no.
3. Current Ekal Praman Patra
4. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
5. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
6. OB Dump and waste management with facts and figures:
7. Top soil management with soil profile:
8. Detail of old Environment Clearance with validity period:
9. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
10. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
11. Water requirement (KLD):
12. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
13. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
14. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
15. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
 - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
17. Carbon footprint.
18. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures

2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.

3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

तदनुसार ADS जारी किया जावे।

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

16. Case No 9523/2022 Shri Alok Tewari, R/o 481/990, F-1 Alopibagh, Prayagraj (UP)-211006, Prior Environment Clearance for Harraha Stone Quarry in an area of 1.4550 ha. (15908 Cum per annum) (Khasra No. 81/2, 81/3, 84/2, 84/3, 85/1/2 & 85/2), Village-Harraha, Tehsil-Mauganj, District-Rewa (MP) (EIA Presetation)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री अलोक तिवारी (ऑनलाईन के माध्यम से) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri ALOK TEWARI, Owner, 481/190 F-1 Alopibagh Prayagraj (U.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	81/2, 81/3, 84/2, 84/3, 85/1/2 & 85/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड परियोजना को भू-स्वामी की सहमति प्राप्त)	1.45 hectare.
स्थल	Village Harraha, Tehsil- Mahuganj, District- Rewa (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 3025 दिनांक 14/11/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1	
टॉर	समिति की पूर्व की 615वीं बैठक दिनांक 30/12/22 को उत्पादन क्षमता पत्थर-15908 Cum per annum के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, खदान लीज दिनांक 14/12/22 को स्वीकृत एवं दिनांक 30/12/22 को टॉर जारी किया गया, प्रकरण डिया से संबंधित नहीं है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-15,908 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-15,908 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 8317 दिनांक 02/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 10 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.206 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 8317 दिनांक 02/12/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं और खदान क्षेत्र से वन क्षेत्र की दूरी 95 मीटर के कारण आयुक्त रीवा संभाग रीवा की	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	अध्यक्षता में वन समिति के समक्ष प्रकरण को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया । प्रकरण में बैठक दिनांक 05/08/22 को समिति द्वारा वन सीमा से से 95 मीटर की दूरी छोड़कर उल्लेख क्षेत्र में स्वीकृति हेतु अनुमति प्रदान की गई ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 8317 दिनांक 02/12/22 अनुसार 390 मीटर पर मानव बसाहट एवं 250 मीटर पर प्राथमिक शाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरहा जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— पक्का रोड़— 409 मी., उत्तर पश्चिम दिशा— शेड— 317 मी. पश्चिम दिशा— पक्का रोड़— 414 मी.,
जन सुनवाई	समिति द्वारा परियोजना हेतु सम्पन्न जन सुनवाई के माध्यम से प्राप्त आपत्तियाँ/सुझाव पर समग्र चर्चा की गई ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 8318 दिनांक 02/12/22 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों सहित निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—15,908 मी³ प्रति वर्ष ।
2. लीज क्षेत्र में पर्याप्त टॉप—साईल उपलब्ध है। अतः इसका उपयुक्त प्रबंधन कर पौधारोपण में उपयोग सुनिश्चित किया जावे ।
3. कम से कम 5 मीटर चौड़ी एवं घनी बांस की हरित पट्टी का विकास वन क्षेत्र की ओर की सीमा में किया जावेगा ।
4. हर्षा प्राथमरी विद्यालय की सेंसिंग एवं इसकी चारों ओर वृक्षारोपण कर हरित पट्टी का विकास किया जावेगा । सी.ई.आर के मद से रु. एक लाख इस हेतु व्यय किये जावेंगे ।

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.35 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.89 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
भू.प्रवेश होने के उपरांत 3 महीने के अंतराल में हर्राहा ग्राम में स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के चारो तरफ तार फेंसिंग की जावेगी	1,00,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में वृक्षारोपण	कालासिरिस, सफेदसिरिस, आंवला, सीताफल, गुआवा, आमए कटहलए मुनगा हाइब्रिडए महुआ अचार आदि	850
2	वन क्षेत्र की तरफ वृक्षारोपण	5 मीटर चौड़ाई में बांस का सघन वृक्षारोपण	500
3	परिवहन मार्ग के किनारे वृक्षारोपण	आंवला, सीताफल, गुआवा, आमए कटहलएए अचार आदि	100
4	ग्राम हररैगुज्जण स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	90
5	ग्राम हर्राहा में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	60
6	आसपास के गांव में पौधे वितरण के लिए ग्रामीणों व पंचायत से परामर्श लेकर वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	900
7			1000
गरलेण्ड ट्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना ।			
कुल			3500

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

17. Case No 9505/2022 Shri Jay Raj Singh, M/s Prakashdeep Minerals, R/o LIG 3/27/306, Nehru Nagar, District-Rewa (MP)-486001 Prior Environment Clearance for Harraha Stone Quarry in an area of 2.50 ha. (29382 Cum per annum) (Khasra No. 3/1, 3/5, 3/6), Village – Harraha, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP) (EIA Presentation)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/10/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री जयराज सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Ramprakash Dwivedi, Partner of M/s Prakash Deep Minerals, L.I.G. 3/27/306, Nehru Nagar Rewa (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	3/1, 3/5 & 3/6 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड परियोजना प्रस्तावक को भू-स्वामी की सहमति प्राप्त) 2.50 hectare.
स्थल	Village Harraha, Tehsil Mauganj, District Rewa (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 6163 दिनांक 23/12/21 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-1
टॉर	समिति की पूर्व की 615वीं बैठक दिनांक 30/12/22 को उत्पादन क्षमता पत्थर-29382 Cum per annum के लिए टॉर की अनुशंसा की गई थी ।
ब्लैस्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन रॉक ब्रेकर से किया जाना स्तावित नहीं है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट,खदान लीज दिनांक 23/12/21 को स्वीकृत एवं दिनांक 30/12/22 को टॉर जारी किया गया, प्रकरण डिया से संबंधित नहीं है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-29,383 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-29,383 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3310 दिनांक 02/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 13.634 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3310 दिनांक 02/12/22 अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं और खदान क्षेत्र से वन क्षेत्र की दूरी 74.83 मीटर के कारण आयुक्त रीवा संभाग रीवा

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	की अध्यक्षता में वन समिति के समक्ष प्रकरण को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। प्रकरण में बैठक दिनांक 14/10/20 को समिति द्वारा वन सीमा से से 74.83 मीटर की दूरी छोड़कर उल्लेख क्षेत्र में स्वीकृति हेतु अनुमति प्रदान की गई।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3310 दिनांक 02/12/22 अनुसार मूल आबादी 350-450 मीटर, नदी 240-440 मीटर, नाला एवं रोड़ 30-60 मीटर लगा हुआ, सड़क 200 मीटर की दूरी पर एवं शेष अन्य मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हरहा जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 10/11/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing- 25 Tree Felling - 10 Additional tree to be planted - 100
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— वाटर बॉडी— 90 मी.— 10 मी. का सेटबैक प्रस्तावित है। दक्षिण दिशा— प्राकृतिक नाला — 40 मी. प्राकृतिक नाला — 75 मी. एवं पक्की सड़क— 85 मी. 15 मी. का सेटबैक प्रस्तावित है। दक्षिण पूर्व दिशा— आबादी 125 मी. पूर्व दिशा— पश्चिम दिशा— प्राकृतिक नाला — 75 मी.
जन सुनवाई	समिति द्वारा परियोजना हेतु सम्पन्न जन सुनवाई के माध्यम से प्राप्त आपत्तियाँ/सुझाव पर समग्र चर्चा की गई।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-71 के सरल क्रमांक-2 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त समिति द्वारा पाया गया कि खदान के समीप एक जलाशय स्थित है। अतः समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई —

- जलाशय के फुल टैंक लेवल से प्रस्तावित खदान के विभिन्न खसरों की दूरी मानचित्र पर अंकित कर प्रस्तुत करेंगे।
- जलाशय की सुरक्षा के दृष्टिगत जलाशय से कितनी दूरी पर माईनिंग करना उपयुक्त होगा, इस संबंध में संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी से अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।
- प्राप्त अभिमत के आधार पर पुनरीक्षित माईनिंग प्लान भी प्रस्तुत करेंगे।

तदनुसार ए.डी.एस. जारी किया जावे।

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

18. Case No 10440/23 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Badiwada Sand Quarry in an area of 4.30 ha. (12900 cum per year) (Khasra No. 439/3), Village- Badiwada, Tehsil- Chand, District- Chhindwara (M.P.)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हरि शंकर शुक्ला, खनिज विभाग से सहायक खनिज अधिकारी सुश्री स्नेहलता थौरे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स परिवेश इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री रविन्द्र परमार खनिज अधिकारी समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	439/3 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.30 hectare.
स्थल	Village- Badiwada, Tehsil- Chand, District- Chhindwara (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान पेंच नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-12,900 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-12,900 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 759 दिनांक 07/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 759 दिनांक 07/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 759 दिनांक 07/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बाड़ीवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 01/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-43 के सरल क्रमांक-1 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-12642 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 12,900 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

- यह खदान पेच नदी में स्थित है। खदान की ऊपरी जल धारा पर एक मेजर ब्रिज स्थित है अतः लीज क्षेत्र से 1 कि.मी. का सेट-बैक देने के बाद मात्र 2.55 हे. क्षेत्र खनन योग्य है, जिसमें से माईनिंग प्लान में दर्शायी गई गहराई (0.49 मी.) के आधार पर केवल 12445 घनमीटर रेत प्रति वर्ष उपलब्ध होती है तथा इसका 60 प्रतिशत अर्थात् 7400 घनमीटर रेत ही निकाली जा सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि उक्त खदान को पूर्व में पत्र क्रमांक 7232 दिनांक 15/03/2021 द्वारा 4000 घनमीटर प्रतिवर्ष खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी। रीप्लेनिशमेंट अध्ययन के आधार पर प्री एवं पोस्ट मानसून डिपॉजिशन में 12642 घनमीटर का अन्तर है। अतः उक्त के दृष्टिगत वर्तमान में भी 7400 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्खनन क्षमता हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित की जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों सहित निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-7400 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 2.61 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.26 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt Middle School, Badiwada	10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	River Bank Side	Planting of Khass grass slips in 3 to 5 rows with the gap of 1 to 1.5-feet in a row	800
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	1000
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No 10469/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), Ward no. 16, opp. Jalalabad bank colony, Babai road, Narmadapuram, (M.P.). Prior Environment Clearance for Sarra Rampur Sand Deposit in an area of 2.0 ha. (48600 cum per year) (Khasra No. 148), Village-Rampur, Tehsil-Pipariya, District-Hoshangabad (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 10/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री गोपाल सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक शेखर मिश्रा, मेसर्स इको कंसल्टेंट सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए प्रस्तुतीकरण के दौरान संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री महेन्द्र पटेल एवं श्री देवेश मरकाम, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे।

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri GOPAL SINGH, Junior Manager (Field), Ward no. 16, opp. Jalalabad bank colony, Babai road, Hoshangabad (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	148 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 Hectare.
स्थल	Village- Rampur, Tehsil- Pipariya, District- Narmadapuram (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान आंजन नदी में स्थित है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-48,600 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-48,600 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1591 दिनांक 29/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1591 दिनांक 29/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1591 दिनांक 29/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रामपुर जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-6 दिनांक 14/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-66 के सरल क्रमांक-109	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

	पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल-84,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 48,600 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।
--	--

- यह खदान आंजन नदी में स्थित है। खदान की ऊपरी जल धारा पर 140 मीटर लम्बा मेजर ब्रिज स्थित है अतः 1 कि.मी. का सेट-बैक लिया जाना होगा, जिसके पश्चात् खनन योग्य लीज क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि इस माईन को पूर्व में किसी भी प्रकार की पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी गई थी। उपरोक्त के दृष्टिगत समिति द्वारा इस प्रकरण को पर्यावरण स्वीकृति हेतु योग्य नहीं पाया।

अतः पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित नहीं किया जा सकता है।

20. Case No 10438/23 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Avariya Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (3000 cum per year) (Khasra No. 01, 126), Village- Avariya, Tehsil- Junnardeo, District- Chhindwara (M.P.)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 11/10/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री हरि शंकर शुक्ला, खनिज विभाग से सहायक खनिज अधिकारी सुश्री स्नेहलता थौरे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी मेसर्स परिवेश इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं साथ में श्री रविन्द्र परमार खनिज अधिकारी समिति के समक्ष उपस्थित थे।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1,126 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	5.00 hectare
स्थल	Village- Avariya, Tehsil- Junnardeo, District- Chhindwara (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति	यह खदान कन्हान नदी में स्थित है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-3000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत-3000 घनमीटर/वर्ष हेतु स्वीकृत है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 433 दिनांक 31/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 433 दिनांक 31/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 433 दिनांक 31/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आवरिया जिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन का प्रस्ताव पारित।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं-43 के सरल क्रमांक-7 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल-3000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों सहित निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-3000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 3.02 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.40 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.06 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt Middle School, Avariya	6,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	River Bank Side	Planting of Khass grass slips in 3 to 5 rows with the gap of 1 to 1.5-feet in a row	1000
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	1100

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

- 21. Case No 10593/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Gandhigram Sand Mine in an area of 0.550 ha. (8019 cum per year) (Khasra No. 02), Village-Gandhigram, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP)**

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एवं श्री बी.के. नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉ०. शशांक मेसर्स ईको कंसल्टेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 25/9/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

के पृष्ठ क्रमांक-51 के सरल क्रमांक-12 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान गांधीग्राम नदी पर ग्राम Gandhigram के निकट 0.55 हे. क्षेत्रफल पर 8019 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित खनिज अधिकारी द्वारा समिति को बताया गया कि खदान के अपस्टीम साईड पर लगभग 115 मी. की दूरी पर आवागमन हेतु रपटा जैसी संरचना (गूगल ईमेज) पाई गई है अतः संबंधित विभाग से रपटा/ब्रिज की सुरक्षा के संबंध में मत लेंगे।

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 01.51 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.39 लाख प्रति वर्ष ।
- सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.12 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी ।	12,000/-

- निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 660 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	160
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(150
		6पंक्ति -अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा,	150

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

		अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके (दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	
2	ग्राम गांधीग्राम के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊँचाई 1.5 मी० से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	200
<p>✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।</p> <p>✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।</p> <p>टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— खनिज अधिकारी संबंधित विभाग से रपटा/ब्रिज की सुरक्षा के संबंध में अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

22. Case No 10629/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Hapakheda Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 168), Village-Hapakhera, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश शर्मा, सुश्री देविका परमार, खनिज अधिकारी, जिला उज्जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी, मेसर्स परिवेश इंवारमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) के द्वारा दिनांक 11/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला उज्जैन के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ क्रमांक-18 के सरल क्रमांक-37 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान क्षिप्रा नदी पर ग्राम Hapakheda के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., कै.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मैप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

- यह पाया गया कि डी.एस.आर. में रेत की गहराई 0.25 मीटर दी गई है, जब कि माईनिंग प्लान 0.5 मीटर के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यालय स्तर पर त्रुटि के कारण डी.एस.आर. में गलत गहराई दी गई है। अतः माईनिंग प्लान में उल्लेखित गहराई के आधार पर रेत की मात्रा का आकलन कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जावे।
- खनिज अधिकारी के अनुरोध पर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि खनिज अधिकारी डी.एस.आर. में आवश्यक संशोधन कर अनुमोदन पश्चात् सिया/सेक को 15 दिन के अन्दर अवगत कराएंगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 2.62 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.23 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.05 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt. Middle School, Hapakheda	5,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	River Bank Side	Planting of Khass grass slips in 3 to 5 rows with the gap of 1 to 1.5-feet in a row	1000
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	1100
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।		
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।		
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।		

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

23. Case No 10632/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mundla Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Mundla, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश शर्मा, सुश्री देविका परमार, खनिज अधिकारी, जिला उज्जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी, मेसर्स परिवेश इंवारमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) के द्वारा दिनांक 11/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला उज्जैन के अनुमोदित डी.एस.आर. के पृष्ठ क्रमांक-18 के सरल क्रमांक-36 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान क्षिप्रा नदी पर ग्राम Mundla के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- यह खदान क्षिप्रा नदी में स्थित है। लीज क्षेत्र की सीमा से निचली जल धारा में एक क्षतिग्रस्त स्टोप डेम स्थित है। अतः ब्रिज से 500 मी. का सेट-बैक दिया गया है।
- यह पाया गया कि डी.एस.आर. में रेत की गहराई 0.25 मीटर दी गई है, जब कि माईनिंग प्लान 0.5 मीटर के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि यह खदान वर्ष 2014 के पूर्व चालू थी तथा इसके पश्चात् इसकी निलामी नहीं हो सकी। उनके द्वारा यह भी

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

स्पष्ट किया गया कि कार्यालय स्तर पर त्रुटि के कारण डी.एस.आर. में गलत गहराई दी गई है। अतः माईनिंग प्लान में उल्लेखित गहराई के आधार पर रेत की मात्रा का आकलन कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाए।

- खनिज अधिकारी के अनुरोध पर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि खनिज अधिकारी डी.एस.आर. में आवश्यक संशोधन कर अनुमोदन पश्चात् सिया/सेक को 15 दिन के अन्दर अवगत कराएंगे।

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.72 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.26 लाख प्रति वर्ष।
2. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.05 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt. Middle School, Mundla	5,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	River Bank Side	Planting of Khass grass slips in 3 to 5 rows with the gap of 1 to 1.5-feet in a row	1000
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	1100

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधारोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधारोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

24. Case No 10633/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Jhirnya Unhel Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Jhirnya Unhel, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)

परियोजना प्रस्तावक परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश शर्मा, सुश्री देविका परमार, खनिज अधिकारी, जिला उज्जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी, मेसर्स परिवेश इंवारमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) के द्वारा दिनांक 11/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला उज्जैन के अनुमोदित डी.एस.आर. के पृष्ठ क्रमांक-20 के सरल क्रमांक-49 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान गंभीर नदी पर ग्राम Jhiranya Unhel के निकट 1.00 हे. क्षेत्रफल पर 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 2000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- यह पाया गया कि डी.एस.आर. में रेत की गहराई 0.25 मीटर दी गई है, जब कि माईनिंग प्लान 0.5 मीटर के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यालय स्तर पर त्रुटि के कारण डी.एस.आर. में गलत गहराई दी गई है। अतः माईनिंग प्लान में उल्लेखित गहराई के आधार पर रेत की मात्रा का आकलन कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाएं।
 - खनिज अधिकारी के अनुरोध पर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि खनिज अधिकारी डी.एस. आर. में आवश्यक संशोधन कर अनुमोदन पश्चात् सिया/सेक को 15 दिन के अन्दर अवगत कराएंगे।
1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.51 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.18 लाख प्रति वर्ष ।
 2. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 5500 हजार तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt. Middle School, Jhirnya Unhel	5,500

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	River Bank Side	Planting of Khass grass slips in 3 to 5 rows with the gap of 1 to 1.5-feet in a row	400
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	800

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

25. Case No 10631/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Dehta Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Dehta, Tehsil-Badnagar, District-Ujjain (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश शर्मा, सुश्री देविका परमार, खनिज अधिकारी, जिला उज्जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी, मेसर्स परिवेश इंवारमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) के द्वारा दिनांक 11/10/2012 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला उज्जैन के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ क्रमांक-15 के सरल क्रमांक-12 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

खदान चंबल नदी पर ग्राम Dehta के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

- यह पाया गया कि डी.एस.आर. में रेत की गहराई 0.25 मीटर दी गई है, जब कि माईनिंग प्लान 0.5 मीटर के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यालय स्तर पर त्रुटि के कारण डी.एस.आर. में गलत गहराई दी गई है। अतः माईनिंग प्लान में उल्लेखित गहराई के आधार पर रेत की मात्रा का आकलन कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जावे।
- खनिज अधिकारी के अनुरोध पर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि खनिज अधिकारी डी.एस.आर. में आवश्यक संशोधन कर अनुमोदन पश्चात् सिया/सेक को 15 दिन के अन्दर अवगत कराएंगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत-2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.24 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.05 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt. Middle School, Dehta	5,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.सं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	River Bank Side	Planting of Khass grass slips in 3 to 5 rows with the gap of 1 to 1.5-feet in a row	1000

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	1100
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।		
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।		
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।		
टीप :	वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।		

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

26. Case No 10630/2023 Shri Dinesh Sharma, Manager (Account), R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Chaunakhedi Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2150 cum per year) (Khasra No. 01), Village- Chunakhedi, Tehsil- Tarana, District- Ujjain (M.P.)

परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश शर्मा, सुश्री देविका परमार, खनिज अधिकारी, जिला उज्जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी, मेसर्स परिवेश इंवारमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ (उ.प्र.) के द्वारा दिनांक 11/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला उज्जैन के अनुमोदित डी.एस.आर. के पृष्ठ क्रमांक-18 के सरल क्रमांक-20 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

खदान छोटीकाली सिंध नदी पर ग्राम Chunakhedi के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 2115 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी-2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

- लीज क्षेत्र की सीमा से निचली जल धारा में एक चैक डेम स्थित है। जिसकी लम्बाई 105 मीटर है। अतः ब्रिज से 1 कि.मी. का सेट-बैक छोड़ने पर मात्र 1.27 हे. लीज क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होता है, जिसमें से प्रस्तावित मात्रा 2150 घनमीटर रेत का खनन किया जा सकता है।

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

- यह पाया गया कि डी.एस.आर. में रेत की गहराई 0.25 मीटर दी गई है, जब कि माईनिंग प्लान 0.5 मीटर के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यालय स्तर पर त्रुटि के कारण डी.एस.आर. में गलत गहराई दी गई है। अतः माईनिंग प्लान में उल्लेखित गहराई के आधार पर रेत की मात्रा का आंकलन किया गया।
- खनिज अधिकारी के अनुरोध पर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि खनिज अधिकारी डी.एस.आर. में आवश्यक संशोधन कर अनुमोदन पश्चात् सिया/सेक को 15 दिन के अन्दर अवगत कराएंगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों सहित अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत 2150 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.99 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.35 लाख प्रति वर्ष।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.058 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य भू-प्रवेश के 03 माह के अंदर में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt. Middle School, Chunakhedi	5,800

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	River Bank Side	Planting of Khass grass slips in 3 to 5 rows with the gap of 1 to 1.5-feet in a row	1000
2	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	Mango, Neem, Bamboo, Kathal, Aonla	1100

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

— रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तों के साथ परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला, उज्जैन—रेत खनिज

प्रस्तुतीकरण के दौरान श्रीमती देविका परमार, खनिज अधिकारी, उज्जैन ने आज दिनांक 11/10/2023 उज्जैन जिले के रेत खदानों से संबंधित कुल 5 खदानों के तकनीकी प्रस्तुतीकरण द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण क्र. 10629/23, 10632/23, 10633/23, 10631/23 एवं 10630/23 में दर्शित अक्षांश—देशांश संतोषजनक पाये गये किन्तु डी.एस.आर. में दी गई गहराई एवं माईनिंग प्लान में दी गई गहराई में अल्प मात्रा में अंतर पाया गया है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुमोदित माईनिंग प्लान में दी गई गहराई/मात्रा के अनुसार उपरोक्त 5 खदानों के प्रकरणों का एपराईजल कर लिया जावे। साथ ही निवेदन किया गया कि उपरोक्त त्रुटि शीघ्र सुधार कर संशोधित डी.एस.आर. पुनः प्रस्तुत की जावेगी। समिति द्वारा खनिज अधिकारी के अनुरोध को मान्य करते हुए संशोधित डी.एस.आर. की 2 प्रति (हार्डकॉपी) में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

रेत खनन के प्रकरणों में इसी की पूर्व एवं वर्तमान शर्तों के क्रियान्वयन एवं पालन पर अतिरिक्त एजेण्डा के रूप में

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे रेत खनन प्रकरणों में जिनमें राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित की गई है, उन सभी प्रकरणों में निम्नानुसार विशिष्ट शर्त अधिरोपित की जाये:-

- विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
- पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी. सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 11 अक्टूबर 2023

- As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
- **In case of the sand mine cases, the committee is of the opinion that:**
The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District Mining Office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
 1. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
 2. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
 3. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
 4. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Monitoring Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
 5. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
 6. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacent agricultural field to avoid erosion and scouring.
 7. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carried out every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should be allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
 8. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 11 अक्टूबर 2023

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 11 अक्टूबर 2023

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 11 अक्टूबर 2023

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 11 अक्टूबर 2023

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
 38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 11 अक्टूबर 2023

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 11 अक्टूबर 2023

- q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at para no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 11 अक्टूबर 2023

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 11 अक्टूबर 2023

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर 2023

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्टिपल जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

687वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 11 अक्टूबर 2023

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतुर्दम ठतममकपदह बमदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।